(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 ... परमानंद मंडल वगैरह ... बनाम ... (1) अंचल अधिकारी साहेबगंज (2) रघुनंदन साह (3) हरिनंदन साह ... सन ...

मौजा मजहरटोला सं0 ... मजहरटोला

जिला ... साहेबगंज

मुकदमे का प्रकार ... 01/15-20 ...

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिपपणी ता० सहित । 3
19.4.15	श्री परमानंद मंडल, चंदानंद मंडल, कल्याणंद मंडल, नित्यानंद मंडल सभी के पिता स्व0 स्वर्गीय पियानंद मंडल साकिन मौहल्ला मजहरटोला थाना शिवबाड़ी आ0प0 बोरियो, जिला - साहेबगंज के द्वारा कार्यपालक शिवबाड़ी आ0प0 बोरियो ... की ओर से विज्ञापक के द्वारा कार्यालय के वाले अंचल अधिकारी साहेबगंज के कार्यालय में आवेदन में वंशावली संख्या 98/15 एवं वंशावली निर्गत दो वंशावली दिनांक 16.10.15 एवं संख्या 99/15 दिनांक 16.10.15 ... अनुरोध किया गया करते हुए अपील दायर करते हुए अनुरोध किया गया है कि वंशावली अपील को स्वीकृत करते हुए उक्त दोनों वंशावली सं0 98/15 एवं 99/15 दिनांक 16.10.15 को निरस्त किया जाय एवं कथित पर हस्ताक्षर के आधार पर वंशावली निर्गत किया जाय। अपीलकर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी, साहेबगंज एवं रघुनंदन साह तथा हरिनंदन साह दोनों पिता स्व0 रामचरित्र साह साकिन मौहल्ला मजहरटोला थाना शिवबाड़ी आ0प0 (बोरियो), जिला साहेबगंज को विपक्षीगण के रूप में नामित किया गया है। विपक्षी (1) अंचल अधिकारी साहेबगंज को तथा 2 व 3 को PR के माध्यम से	

-2-

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2
	नोटिस निर्गत कर अपना-अपना पक्ष रखने सूचित करें। दिनांक 27.5.19 को रखें। लोकप्राधिकार एवं निराकरण। (लोकप्राधिकार पदाधिकारी मोहनगंज) 19/4/19 (लोकप्राधिकार पदाधिकारी, मोहनगंज)
27.5.19	अभिलेख उपस्थापित। पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है अनुपालन करें। दिनांक 22.6.19 को रखें। 27/5/19 (लोकप्राधिकार पदाधिकारी मोहनगंज)
22.6.19	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मोहनगंज के कार्यालय प्रतिवेदन अप्राप्त। अगले तारीख में लाएं। दिनांक 11.7.19 को रखें। (लोकप्राधिकार पदाधिकारी मोहनगंज)
11.7.19	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मोहनगंज के कार्यालय ...

अंचल अधिकारी कार्यालय रजि. सं 142 27/...

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाही के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
	न्यायालय अन्तर्गत खासमहल पदाधिकारी, साहेबगंज। विविध वाद सं०–01/19–20 परमानन्द मंडल–वनाम्–1. अंचल अधिकारी साहेबगंज, 2. रघुनन्दन साह वगै०। —:आदेश:—	
06.01.2022	यह वाद आवेदक परमानन्द मंडल, सदानन्द मंडल, कृत्यानन्द मंडल, नित्यानन्द मंडल सभी के पिता–र्स्व० पंचानन्द मंडल, साकिन–मजहर टोला, थाना–जिरवाबाड़ी (ओ०पी०) जिला–साहेबगंज की ओर से विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वकालतन आवेदन में अंचल अधिकारी साहेबगंज के कार्यालय से निर्गत 02 (दो) वंशावली सं०–98/2015 एवं वंशावली सं०–99/2015, दिनांक–16.10.2015 से असंतुष्ट होते हुए अपील दायर करते हुए अनुरोध किया गया है वंशावली अपील को अंगीकृत करते हुए उक्त दोनों वंशावली सं०–98/2015 एवं 19/2015, दिनांक–16.10. 2015 को निरस्त किया जाय एवं नये सिरे से वैध दस्तावेज के आधार पर नया वंशावली निर्गत किया जाय। अपीलकर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी, साहेबगंज एवं रघुनन्दन साह तथा हरिनन्दन साह दोनों का पिता–र्स्व० रामचरित्र साह, साकिन–मोहल्ला–मजहर टोला, थाना–जिरवाबाड़ी (ओ०पी०), जिला–साहेबगंज को विपक्षीगण के रूप में नामित किया गया है। उक्त अपीलकर्त्ता परमानन्द मंडल वगै० के आवेदन के आलोक में अभिलेख प्रारम्भ कर आवेदक एवं विपक्षीगण को अपने–अपने दावा संबंधी साक्ष्य कागजातों एवं कारण–पृच्छा के साथ उपथित होने का नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी–01 (एक) अंचल अधिकारी साहेबगंज को इस कार्यालय के पत्रांक–142/खा०, साहेबगंज, दिनांक–27.05.2019 विविध अपीलवाद सं०–01/19–20 परमानन्द मंडल वगै० बनाम् रघुनन्दन साह वगै० में वंशावली का सत्यापन के संबंध में पत्र के माध्यम से नोटिश निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, साहेबगंज सदर ने अपना वंशावली सत्यापन प्रतिवेदन, पत्रांक–300/रा०,	

साहेबगंज दिनांक–13.03.2021 के द्वारा समर्पित किये है। उभय पक्षों को विभिन्न तिथियों में सुना । प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि अंचल अधिकारी साहेबगंज के पत्रांक निर्गत सं०–25/2015, दिनांक–14.03.2015 शपथपत्र सं०–67/दिनांक–28.02.2015 के क्षरा द्वितीय पक्ष ने मेरे दादी दादा को अपना दादी, दादा बनाकर वंशावली निर्गत करवाये है जिससे मेरे पैत्रिक अंचल संपत्ति को हड़पा जा सके। उक्त वंशावली पर प्रथम पक्ष द्वारा आपत्ति करने पर अंचल अधिकारी, साहेबगंज ने उक्त वंशावली को अपने पत्रांक–248/01.08.2015 के द्वारा अवैध घोषित कर दिये है।

पुनः प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने अपना–अपना शपथ पत्र दिये। प्रथम पक्ष का शपथ पत्र सं०–P2/02, दिनांक–01.08.2015 तथा द्वितीय पक्ष का शपथ पत्र सं०–113/दिनांक–12.08.2015 है। प्रथम पक्ष के शपथ पत्र सं०–P2/02, दिनांक–01.08.2015 में लगहर पुत्र रामचरित्र साह पूर्वपति घमंड़ी साह से हुए 02 (दो) साल का एक लगहर पुत्र रामचरित्र को लेकर द्वितीय पत्नी के रूप में आयी थी कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर प्रथम पक्ष के वंशावली सं०–98/2015, दिनांक–16.10.2015 में निर्गत वंशावली में किस आधार पर लगहर पुत्र लिखा गया जो गलत एवं निराधार है। कंडिका 03 पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के वंशावली सं०–99/2015, दिनांक–16.10.2015 शपथ–पत्र सं०–113/दिनांक–21.08.2015 कण्डिका 3 के (क) में मंगलावती देवी की शादी पहले घमंड़ी साह से हुई थी, जो गलत तथा निराधार है।

पुनः प्रथम पक्ष ने कंडिका 03 के (ख) में उल्लेख (स्वीकार) किया है कि दीनानाथ मंडल की पहली पत्नी गेंदावती देवी थी। गेंदावती देवी की मृत्यु के बाद मंगलावती से शादी की यह सत्य है। किन्तु दोनो सगी बहन थी। इसका लिखित प्रमाण पत्र द्वितीय पक्ष ने नहीं दी मौखिक कहें है। कंडिका 03 (ग) में प्रथम पक्ष ने उल्लेख किया है कि दीनानाथ मंडल की दूसरी पत्नी उसकी रिस्ता में शाली थी, इसका लिखित प्रमाण द्वितीय पक्ष के पास नहीं है कंडिका 03 (घ) में प्रथम पक्ष ने उल्लेख किया है कि दीनानाथ मंडल जिला–साहेबगंज में रहते थे, और घमंडी साह जिला–गोड्डा घर में रहते थे।

कंडिका 03 के (च) में प्रथम पक्ष ने उल्लेख किया है

कि घमंडी साह की पत्नी मंगलावती थी ही नहीं घमंडी साह की पत्नी का नाम मुगिली थी जो गोड्डा जिला की रहने वाली थी। इसका प्रमाण प्रथम पक्ष द्वारा लिखित गोड्डा के मुखिया तथा वार्ड सदस्य से दिनांक–09.04.2016 को दिया गया था।

प्रथम पक्ष ने अपने कारण–पृच्छा में यह भी उल्लेख किया है कि हमलोग मंडल वंशज के है, जबकि द्वितीय पक्ष साह वंश से है। प्रथम पक्ष ने यह भी उल्लेख किया है कि द्वितीय पक्ष अपने दादा घमंडी साह की संपत्ति गोड्डा जिला में लिये है। प्रथम पक्ष ने उल्लेख किया है कि वंशज पिता से चलता है माता से नहीं, जबकि मंगलावती पति स्र्व० दीनानाथ मंडल के सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष का कोई दाबा हक नहीं बनता हैं। ऐसे भी द्वितीय पक्ष के दादा घमंडी साह की पत्नी का नाम मुगिली देवी था।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि प्रथम पक्ष द्वारा अपने वंशावली प्रमाण–पत्र हेतु अंचल अधिकारी, साहेबगंज में आवेदन दाखिल किया गया जिस्की जाँच राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत अपीलार्थी (प्रथम पक्ष) को निर्गत सं०–98/2015, दिनांक–16.10.2015 निर्गत किया गया। उसी प्रकार विपक्षी सं०–02 (द्वितीय पक्ष) के द्वारा भी वंशावली प्रमाण–पत्र हेतु अंचलाधिकारी, साहेबगंज में आवेदन दाखिल किये जिस आवेदन पर भी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत सं०–99/2015, दिनांक–16. 10.2015 को निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष ने कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि दोनों वंशावली–98/25, दिनांक–16.10.2015 एवं 99/2015, दिनांक–16.10.2015 में एक बात एकरूपता है कि मंगलावती को दर्शाया गया है। मंगलावती का पति घमंडी साह को वंश के रूप में तीन (03) पुत्र एवं 03 (तीन) पुत्री का जन्म हुआ। मंगलावती के पति की मुत्यु के उपरान्त मंगलावती अपने बहनोई दीनानाथ मंडल से विवाह किया जिसे एक पुत्री का जन्म हुआ जो अविवाहित देहान्त हो गयी। द्वितीय पक्ष ने अपने कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है अंचलाधिकारी, साहेबगंज द्वारा वंशावली प्रमाण–पत्र निर्गत सं०–98/2015, दिनांक–16.10.2015 एवं निर्गत सं०–99/2015, दिनांक–16.10.2015 बिल्कूल सही है इसमे कुछ भी त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी (प्रथम) पक्ष का वंश मंगलावती देवी की सम्पत्ति नाजायज रूप में हड़पने का उद्देश्य है, जो वंशावली को गलत साबित करना चाहता है। सत्यता यह है कि मंगलावती के

नाम ही सम्पत्ति का वारिशान मंगलावती के प्रथम पति घमंडी साह से उत्पन्न एक मात्र पुत्र रामचरित्र साह है जिसको तीन (03) पुत्र एवं 03 (तीन) पुत्री वंश के रूप में है, यदि सम्पत्ति का हकदार है, तो केवल और केवल विपक्षी सं०–02 (दो) का है किसी अन्य को कभी नहीं हो सकता है। अतः अपीलार्थी (प्रथम पक्ष) का दावा विलकुल गलत है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसलिए अपील खारिज किया जाय। एवं विपक्षी सं०–02 (दो) अपीलवाद से मुक्त करने का आदेश पारित किया जाय।

अतः दोनों पक्षों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों के पश्चात इस न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली को सही मानते हुए आवेदक के अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापिता एवं संशोधित।

6/1/2022 6/1/2022

खासमहल पदाधिकारी,
साहबगंज।

खासमहल पदाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by JAY BARDHAN KUMAR
Date: 2024.07.26 15:50:00 +05:30
Location: 192.168.0.114